D:\old data 2011 REGULATION\order\Pmandi.doc

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय

क्रमांकः प.2(43)निकृवि / नियमन / ई–मार्केट / 09 / जयपुर,दिनांकः

आदेश

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(4)एग्री / ग्रुप–2 / 2006 दिनांक 13.8.09 के द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 28.8.09 में प्रकाशित राजस्थान कृषि उपज विपणी (संशोधन) नियम, 2009 के नियम 56 बी (निजी उप ई–मार्केट) के उप नियम 5 एवं उप नियम के 8(viii) के प्रावधानानुसार आदेशित किया जाता है कि :–

1. निजी उप ई–मार्केट हेतु अनुज्ञापत्र शुल्क 50,000 / – रुपये (अंके पचास हजार रुपये) प्रति वर्ष निर्धारित किया जाता है। जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। राज्य सरकार की उक्तांकित अधिसूचना में उप नियम 5 में निहित प्रावधानों के क्रम में अनुज्ञापत्र शुल्क 2.5 लाख रुपये (अंके दो लाख पचास हजार रुपये) पांच वर्ष के लिये निर्धारित किया जाता है। उक्त अनुज्ञापत्र 5 वर्ष बाद आगामी पांच वर्ष के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा जिसका नवीनीकरण शुल्क भी 2.5 लाख रुपये (अंके दो लाख पचास हजार रुपये) निर्धारित किया जाता है।
2. राज्य सरकार की उक्तांकित अधिसूचना में सैटलमेन्ट गारण्टी फण्ड सृजन किये जाने के उप नियम 8(viii) में निहित प्रावधान अंतर्गत सैटलमेन्ट गारण्टी फण्ड की राशि 5.00 लाख रुपये (अंके पांच लाख रुपये) निर्धारित की जाती है।
3. निजी उप ई–मार्केट स्थापना के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र–xviii के लिये किसी प्रकार का आवेदन शुल्क देय नहीं होगा।

ह0/–
निदेशक एवं
पदेन शासन उप सचिव
कृषि विपणन

क्रमांकः प.2(43)निकृवि / नियमन / ई–मार्केट / 09 / 27051-205 जयपुर,दिनांकः 6.10.09
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अति. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
4. सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
5. क्षेत्रीय उप / सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, समस्त।
6. समस्त विभागीय अधिकारी, कृषि विपणन विभाग।
7. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, समस्त ....।
8. आरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं
पदेन शासन उप सचिव
कृषि विपणन